डीजी परिपत्र संख्या - 14 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः फरवरी 27 , 2016

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि कई प्रकरणों में इस मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि बहुधा दोष सिद्ध सजायाफता अपराधियों द्वारा अपील के दौरान जमानत पर होने की अवधि में पुनः अपराध किये जाते हैं तथा मुकदमों के गवाहों इत्यादि को डराया धमकाया जाता है। इससे जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है एवं पुलिस तथा माननीय न्यायालयों के विरूद्ध प्रतिकूल जनधारणा बनती है। इन अपराधियों द्वारा जमानत पर रहते हुए यदि जमानत बन्ध पत्रों की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो इनकी जमानत निरस्त कराये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित थानाध्यक्षों द्वारा करायी जानी चाहिए। ऐसा न कराने के कारण यह अपराधी पुनः अपराध में सक्रिय हो जाते हैं और समाज में भय व आतंक फैलाते हैं। शिकायतकर्ता एवं गवाहों को तरह-तरह से आतंकित कर उन्हें गवाही न देने इत्यादि के लिए बाध्य करते हैं।

2. इसी प्रकार जब कभी माननीय न्यायालयों द्वारा अपराधियों का जमानत बन्ध पत्र सत्यापन हेतु थाने को भेजे जाते हैं तो उनका सत्यापन सरसरी तौर पर किया जाता है। फलस्वरूप कई अपराधी गलत तथ्यों के आधार पर जमानत प्राप्त कर लेते हैं। अतः यह आवश्यक है कि थानाध्यक्ष द्वारा जमानत बन्ध पत्रों के सत्यापन को गम्भीरता से किया जाये, ताकि अपराधी गलत तथ्यों के आधार पर जमानत न पा सके।

3. उक्त तथ्यों के आलोक में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित मा0 न्यायालयों से समन्वय स्थापित कर ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर लें, जो सजायाफ्ता हैं तथा जमानत पर हैं। इस सूची का मिलान थाने के अभिलेखों से करा लें। इस सूची के आधार पर सम्बन्धित अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी कर जमानत बन्ध पत्रों की शर्तों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही करें। इस कार्य के लिए यदि शासकीय अभियोजकों का सहयोग अपेक्षित हो, तो उनका सहयोग प्राप्त किया जाये। इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जमानत बन्ध पत्रों के सत्यापन की महत्ता से अवगत करायें तथा यह सुनिश्चित करें कि सत्यापन के कार्य में अधिकारी लापरवाही न बरतें। जिन प्रकरणों में

सत्यापन कार्य में अधिकारियों की लापरवाही परिलक्षित हो, उन प्रकरणों में दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित् की जाये।

भवदीय

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रिय महोदय,

इस पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में अपने स्तर से शासकीय अभियोजकों को उचित दिशा निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(जावीद अहमद)

डा0 सूर्य कुमार,
महानिदेशक अभियोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।